प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

रिट याचिका 227 सं 364/2025

सुनंदा शर्मा पति स्वर्गीय सुशील शर्मा आयु लगभग 65 वर्ष ,निवासी देवदा तह. पाटन जिला–दुर्ग (छ.ग.)

––(वादी) याचिकाकर्ता

बनाम

1. बहुरा देवी चौबे पिता स्वर्गीय श्री पुरंजन प्रसाद चौबे, लगभग 72 वर्ष, निवासी ग्राम देउरगांव तह. साजा जिला – बेमेतरा , छ.ग. (प्रतिवादी)

2. चंद्रमौली चौबे पिता मनहरनलाल चौबे 61 वर्ष निवासी ग्राम देवरगांव तह साजा जिला–बेमेतारा (छ.ग)

3. देवरात चौबे पिता चंद्रमौली चौबे 30 वर्ष निवासी गाँव देवरगाँव ताह साजा जिला–बेमेतारा(छ.ग)

4. यशपाल चौबे पिता श्री विद्यानंद चौबे 46 वर्ष निवासी कदम्बरी नगर दुर्ग तहसील तथा जिला–दुर्ग (छ.ग.)

5. माँ महामाया मंदिर गाँव देवरगाँव तहसील साजा जिला–बेमेतारा(छ.ग.)

6. पं. आचार्य नरेंद्र तिवारी पिता श्री रूपनाथ तिवारी 75 वर्ष निवासी ग्राम चारभंथ तहसील सहसपुर लोहारा जिला–कबीरधाम(छ.ग.)

7. छत्तीसगढ़ राज्य जिला कलेक्टर के द्वारा बेमेतारा (छ.ग)

––उत्तरवादी

याचिकाकर्ता हेतु :	:	श्री हेमंत कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता
राज्य/उत्तरवादी संख्या 7 हेतु :	:	श्री शुभम बाजपेयी, पैनल अधिवक्ता

माननीय श्री राकेश मोहन पांडे, न्यायाधीश

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

बोर्ड पर निर्णय

23-04-2025

प्रवेश पर सुना गया।

1) याचिकाकर्ता ने सिविल वाद क्रमांक ए/7/2021 दिनांक 11.03.2025 में विद्वान प्रधान जिला न्यायाधीश, बेमेतरा, जिला बेमेतरा द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा सीपीसी के आदेश 16 नियम 2 के तहत प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

2) वर्तमान प्रकरण के तथ्य यह हैं कि:-

(i) याचिकाकर्ता/वादी ने दिनांक 10.06.2016 की वसीयत के आधार पर विवादित संपत्ति पर मालिकाना हक की घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा और बेदखली के बाद कब्जे के लिए सिविल वाद दायर किया गया । प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 और 5 ने लिखित बयान दायर किया और प्रतिवादी संख्या 6 और 7 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ii) विद्वान विचारण न्यायालय ने विवाद्यक निर्धारित किए; वादी ने साक्ष्य पेश किए। 11.03.2025 को वादी से प्रतिपरीक्षा की गई और उसी दिन उसने उप-पंजीयक, साजा की जांच करने के लिए सीपीसी के नियम 2 के तहत एक आवेदन दिया, जिसके समक्ष 10.06.2016 की पंजीकृत वसीयत निष्पादित और पंजीकृत की गई थी। प्रतिवादियों द्वारा आवेदन पर आपत्ति की गई।

(iii) विद्वान विचारण न्यायालय ने इस आधार पर आवेदन को खारिज कर दिया कि यह साक्षी वादी द्वारा प्रस्तुत साक्षीयो की सूची में नहीं था। यह भी देखा गया कि वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था लेकिन सूचीबद्ध साक्षी मौजूद नहीं थे और इस प्रकार वादी का साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार समाप्त हो गया।सी.पी.सी. के आदेश 17 नियम 2 के तहत एक अन्य आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था और इसे भी खारिज कर दिया गया।

3) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सी.पी.सी. के आदेश 16 नियम 2 के प्रावधानों के अनुसार, सूचीबद्ध साक्षीयों की परीक्षा करना आवश्यक नहीं है और सूची के पक्षकार किसी भी साक्षी की परीक्षा कर सकते हैं और ऐसे साक्षीयो को समन जारी किया जा सकता है।इसके समर्थन में, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महबूसा बेगम एवं अन्य बनाम तमिलनाडु वक्फ बोर्ड एवं अन्य के मामले में पारित निर्णय पर भरोसा किया, जिसकी रिपोर्ट (2016) 16 एससीसी 653 में दी गई थी, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पक्षों के लिए विधि में उनके लिए उपलब्ध सभी विवाद उठाने और उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए खुला होगा, जिन्हें विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। वह विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना करते हैं।

4) दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता इसका विरोध करते हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को साक्ष्य पेश करने के लिए सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया था, लेकिन वह असफल रही, इसलिए उसका अधिकार बंद हो गया।उन्होंने आगे कहा कि उप–रजिस्ट्रार, साजा सूचीबद्ध साक्षी नहीं थे, इसलिए, सीपीसी के आदेश 16 नियम 2 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया।

5) पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

6) सी. पी. सी. का आदेश 16 नियम 1 तथा 2 निम्नानुसार हैः–––

1. साक्षीयों की सूची तथा साक्षीयों को समन।–––

(1) न्यायालय द्वारा नियत की गई तारीख को या उससे पूर्व, तथा विवाद्यक के निराकरण की दिनांक से पन्द्रह दिन के अपश्चात्, पक्षकार न्यायालय में उन साक्षियों की सूची प्रस्तुत करते है, जिन्हें वे साक्ष्य देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुलाने का प्रस्ताव रखते हैं, तथा न्यायालय में अपनी उपस्थिति हेतु ऐसे व्यक्ति को समन प्राप्त करने हेतु बुलाने का प्रस्ताव करते हैं।

(2) किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए कोई सम्मन प्राप्त करने का इच्छुक पक्षकार न्यायालय में एक आवेदन दाखिल करेगा, जिसमें वह प्रयोजन बताया जाएगा, जिसके लिए साक्षी को बुलाने का प्रस्ताव है।

(3) न्यायालय, ऐसे कारणों को लेखबद्ध करके, किसी पक्षकार को, न्यायालय के माध्यम से समन करके या अन्यथा, किसी साक्षी को, उन लोगों से भिन्न, जिनके नाम उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूची में हैं, बुलाने की अनुज्ञा दे सकेगा, यदि ऐसा पक्षकार उक्त सूची में ऐसे साक्षी का नाम उल्लेख करने में चूक के लिए पर्याप्त कारण दर्शित करता है।

(4) उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस नियम में निर्दिष्ट समन पक्षकारों द्वारा न्यायालय में या न्यायालय द्वारा इस निमित्त नियुक्त किए गए किसी अधिकारी को उपनियम (1) के अधीन साक्षियों की सूची प्रस्तुत किए जाने के पांच दिन के भीतर आवेदन करके प्राप्त किए जा सकेंगे।

1ए. समन के बिना साक्षियों का प्रस्तुत होना–––

नियम 1 के उपनियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, तथा वाद का पक्षकार, नियम 1 के अधीन समन के लिए आवेदन किए बिना, साक्ष्य देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए किसी भी साक्षी को ला सकता है।

2. समन के लिए आवेदन करने पर न्यायालय में साक्षियों के भुगतान किए जाने वाले व्यय।–––

(1) समन के लिए आवेदन करने वाला पक्षकार, समन स्वीकृत किए जाने के पूर्व और नियत की जाने वाली अवधि के भीतर न्यायालय में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा जो न्यायालय को समन किए गए व्यक्ति के उस न्यायालय से आने–जाने के लिए यात्रा तथा अन्य व्ययों को वहन करने के लिए पर्याप्त प्रतीत हो जिसमें उससे उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती है, तथा एक दिन की उपस्थिति के लिए भी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) विशेषज्ञ–इस नियम के अधीन देय रकम का अवधारण करते समय, न्यायालय, विशेषज्ञ के रूप में साक्ष्य देने के लिए बुलाए गए किसी व्यक्ति के मामले में, साक्ष्य देने में तथा मामले के लिए आवश्यक विशेषज्ञ प्रकृति का कोई कार्य करने में लगे समय के लिए युक्तियुक्त पारिश्रमिक दे सकेगा।

(3)खर्चों का पैमाना।–जहाँ न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है, वहाँ इस संबंध में बनाए गए किसी भी नियम के लिए ऐसे खर्चों का पैमाना निर्धारित करने में ध्यान दिया जाएगा।

(4)प्रत्यक्ष रूप से साक्षीयों को भुगतान किए जाने वाले खर्च।– जहां समन किसी पक्ष द्वारा सीधे साक्षी को दिया जाता है, वहां उप–नियम (1) में निर्दिष्ट व्यय पक्ष या उसके एजेंट द्वारा साक्षी को भुगतान किया जाएगा।

7) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एआईआर 1999 एससी 1441 में रिपोर्ट किए गए **विद्याधर बनाम माणिकराव** के मामले में इन नियमों के संबंध में राय दी है कि "पक्षकारों के लिए साक्षी को बुलाने या समन लागू किए बिना, साक्ष्य पेश करने या दस्तावेज पेश करने के लिए साक्षी को लाने की स्वतंत्रता है"।यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि "नियम 1 का उप–नियम (1) यह प्रावधान करता है कि हालांकि किसी गवाह का नाम न्यायालय में किसी पक्ष द्वारा दायर गवाहों की सूची में नहीं हो सकता है, यह पक्ष को गवाह पेश करने की अनुमति दे सकता है, भले ही उसे न्यायालय के माध्यम से बुलाया न गया हो। न्यायालय की अनुमति आवश्यक हो सकती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं होगा कि नियम 1ए नियम 1 के उप–नियम (3) का उल्लंघन करता है।" उपरोक्त निर्णय का सुसंगत कंडिका नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. इन दोनों नियमों को एक साथ पढ़ने से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि किसी भी पक्षकार को साक्षी **को न्यायालय में बुलाने की स्वतंत्रता है अथवा वह सम्मन के लिए आवेदन किए बिना, साक्ष्य देने अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए गवाहों को ला सकता है। नियम 1 के उप–नियम (3) में यह प्रावधान है कि यद्यपि किसी गवाह का नाम न्यायालय में किसी पक्षकार द्वारा दाखिल साक्षीयो की सूची में नहीं हो सकता है, फिर भी यह पक्षकार को साक्षी को प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है, भले ही उसे न्यायालय के माध्यम से बुलाया न गया हो।नियम 1ए, जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा 01.02.1977 से लागू किया गया था, ने स्पष्ट और निर्दिष्ट शर्तों में यह प्रावधान करके मामले को संदेह से परे कर दिया है कि वाद का कोई भी पक्ष साक्ष्य देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए किसी भी** साक्षी **को ला सकता है।चूंकि यह नियम नियम 1 के उपनियम (3) के प्रावधानों के अधीन है, इसलिए केवल यही कहा जा सकता है कि किसी भी** साक्षी **की जांच करने से पहले, जिसे किसी पक्ष द्वारा उस प्रयोजन के लिए लाया गया हो, न्यायालय की अनुमति आवश्यक हो सकती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं होगा कि नियम 1ए नियम 1 के उपनियम (3) का उल्लंघन करता है।इस न्यायालय द्वारा मांगे राम बनाम बृज मोहन, एआईआर 1983 एससी 925:(1983) 4 एससीसी 36:(1983) 3 एससीआर 525 में सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट की गई थी, जिसमें यह माना गया था कि नियम 1 का उप–नियम (3) और नियम 1ए दो अलग–अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं और दो अलग–अलग स्थितियों को पूरा करते हैं।"**

8) संग्राम सिंह बनाम चुनाव न्यायाधिकरण, कोटा के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एआईआर 1955 एससी 425 में कहा कि यह एक प्रक्रिया है, जो न्याय को सुगम बनाने और उसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई है:--

"यह दंड और दंड के लिए दंडात्मक अधिनियम नहीं है; यह लोगों को फंसाने के लिए नहीं बनाया गया है। अतः, धाराओं का इतना तकनीकी निर्माण नहीं किया जाना चाहिए कि व्याख्या में उचित लचीलेपन की कोई गुंजाइश न रह जाए।"

9) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सुशील कुमार सेन बनाम बिहार राज्य के मामले** में 1975 (1) एससीसी 774 में यह अभिनिर्धारित किया है कि "विधि के हाथों न्याय की नैतिकता न्यायाधीश की अंतरात्मा को परेशान करती है और कानून सुधारक पर गुस्से से सवाल उठाती है।

"विधि के हाथों न्याय की नैतिकता न्यायाधीश की अंतरात्मा को परेशान करती है और विधि सुधारक पर क्रोधित प्रश्न उठाती है। प्रक्रियात्मक कानून कुछ प्रणालियों में इतना हावी हो जाता है कि वह मूल अधिकारों और मूल न्याय को दबा देता है।मानवतावादी नियम यह है कि प्रक्रिया को कानूनी न्याय की दासी होना चाहिए, न कि उसकी स्वामिनी, जिसके कारण न्यायाधीशों को अवशिष्ट शक्ति प्रदान करने पर विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, ताकि वे न्यायोचित कार्य कर सकें, अन्यथा दुखद परिणाम पूरी तरह से असमान होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पंजाब राज्य बनाम शामलाल मुरारी के मामले में 1976 (1) एससीसी 719** में रिपोर्ट दी कि "प्रक्रियात्मक विधि अत्याचारी नहीं बल्कि सेवक है, बाधा नहीं बल्कि न्याय में सहायक है। प्रक्रियात्मक नुस्खे दासी हैं न कि मालकिन, स्नेहक हैं, न्याय प्रशासन में प्रतिरोधी नहीं है।" "11) वर्तमान मामले में, विद्वान विचारण न्यायालय ने सीपीसी के आदेश 16 नियम 2 के तहत दायर आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि सब-रजिस्ट्रार, साजा सूचीबद्ध साक्षी नहीं थे।इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है।

12) उपरोक्त चर्चित तथ्यों और **विद्याधर (सुप्रा), संग्राम सिंह (सुप्रा), सुशील कुमार सेन (सुप्रा) और शामलाल मुरारी (सुप्रा) के मामलों** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि को ध्यान में रखते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 11.03.2025 को पारित आदेश, जिसके तहत वादी द्वारा सीपीसी के आदेश 16 नियम 2 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था, को अपास्त किया जाता है और याचिका को स्वीकृति दी जाती है।

13) सी.पी.सी. के आदेश 16 नियम 2 के तहत प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान विचारण न्यायालय को प्रस्तावित साक्षी को अपना साक्ष्य दर्ज करने के लिए सम्मन जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

सही/-

(राकेश मोहन पांडे)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका 227 सं 364/2025

हेड नोट:--

आदेश 16 नियम 2 सीपीसी – पक्षकारों के लिए यह स्वतंत्र है कि वे साक्षी को बुलाएं या समन लागू किए बिना, साक्ष्य पेश करने के लिए साक्षी को लाएं या सुसंगता के अधीन दस्तावेज पेश करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur